अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 7886 / नौ–5–2010–355सा / 2009टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः: दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

विषय : जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी व यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के साथ–साथ अन्य योजनाओं में स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन के क्रम में की गई सड़कों की खुदाई के मरम्मत के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या–6252 / नौ–5–2009–355सा / 09टीसी दिनांक 11 सितम्बर, 2009, संख्या–4218 / नौ–5–2010–355सा / 09टीसी दिनांक 10 मई, 2010, संख्या–4218(2) / नौ–5–2010–355सा / 09टीसी दिनांक 16 जुलाई, 2010, संख्या– 6057 / नौ–5–2010–355सा / 09 टीसी दिनांक 17 अगस्त, 2010 तथा संख्या– 6057(2) / नौ–5–2010–355सा / 09 टीसी दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के दौरान की गई सड़कों की खुदाई को तत्काल मरम्मत कराए जाने के निर्देश दिए गए थे।

2– उक्त के क्रम में मुझे पुनः यह कहने कर निदेश हुआ है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों के कारण नागर निकाय क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी सड़कों की खुदाई / कटिंग की गई है, उस स्थल पर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल सड़कों की मरम्मत / पुनर्निमाण कराने का कष्ट करें, जिससे नागरिकों के सुगम आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–7886 (1) / 9–5–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।